

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.10(1)नविवि/3/2013

दिनांक 27 OCT 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 के क्रम में अजमेर मास्टर विकास योजना- 2023 के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. अजमेर रीजन की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर मास्टर विकास योजना-2033 के प्रारूप पर आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.12.2013 को विज्ञापनी प्रकाशित कर पूर्व मास्टर प्लान योजना-2033 को अंतिम रूप दिये जाने में हो रहे विलम्ब को देखते हुए दिनांक 13.03.2018 से दिनांक 11.04.18 तक पुनः आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नगरीय विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 28.11.2019 द्वारा समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त आपत्ति/सुझावों की रिपोर्ट एवं तकनीकी विश्लेषण पश्चात् दिनांक 31.07.2020 को प्रेषित किये गये थे। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक संशोधन पश्चात् आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु आदेश जारी कर दिनांक 10.09.2020 से दिनांक 09.10.2020 तक पुनः आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये। निर्धारित समयावधि में प्राप्त कुल 725 आपत्ति/सुझाव का प्राधिकरण स्तर से परीक्षण उपरान्त मास्टर विकास योजना-2033 का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.01.2021 में अनुमोदन किया जाकर दिनांक 27.01.2021 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग योजना-2033 मानचित्र में कतिपय स्थलों के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है-

मास्टर विकास योजना-2033 अजमेर रीजन की रिपोर्ट बिन्दु सं. 5 (भू-उपयोग) में विशेष क्षेत्र के संबंध में लेख है कि "अजमेर मास्टर प्लान (2001-2023) में आरक्षित बाग, खुले स्थल, आमोद-प्रमोद, सुविधा क्षेत्रों आदि भू-उपयोगों से वर्तमान में मौके पर भिन्न उपयोग होने के कारण उक्त क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र दर्शाया गया है, जिनका भू-उपयोग राज्य सरकार के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।"

3. मास्टर विकास योजना -2033 अजमेर रीजन के संबंध में नगरीय विकास विभाग में प्राप्त आपत्तियों में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक:-प.10(1) नविवि/3/2013 जयपुर, दिनांक 7/6/2021 द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 19/8/2021 को आयोजित बैठक में प्रकरणवार प्रकरण से संबंधित आपत्तिकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के विस्तृत परीक्षण पश्चात् निम्नानुसार प्रकरणवार निर्णय लिये गये:-

● प्रकरण सं. 1

- i.) आपत्तिकर्ता का नाम एवं दिनांक - श्री रमेश चन्दीराम, श्री भगवान चन्दीराम दि. 10.02.21
- ii.) स्थल विवरण - ग्राम थोक तेलियान के खसरा नं. 2143 में स्थित भूमि क्षेत्रफल 755.55 व.ग. भूमि
- iii.) मास्टर प्लान-2033 में प्रस्तावित भू-उपयोग - प्रश्नगत भूमि का अजमेर शहर के मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग बाग, खुले स्थल एवं खेल का मैदान हेतु प्रावधानित है।
- iv.) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर की गई विवरण मय निस्तारण टिप्पणी - वर्णित खसरा नम्बर अजेर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 के अनुसार बाग, खुला क्षेत्र एवं खेल के मैदान हेतु अंकित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका सं 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में मास्टर प्लान में दर्शित खुला क्षेत्र, हरा क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, खेल के मैदान, बाग इत्यादि क्षेत्रों को नवीन मास्टर प्लान बनाते समय भी यथावत रखा जाना है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

- v.) समिति की रिपोर्ट एवं अनुशंशा के आधार पर राज्य सरकार का निर्णय – प्रश्नगत भूमि का अजमेर शहर के मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2033 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग बाग, खुले स्थल एवं खेल का मैदान हेतु प्रावधानित है तथा मास्टर प्लान में प्रस्तावित 120 फीट (36मीटर) चौड़ी सड़क पर स्थित है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रेषित तथ्यों के क्रम में नियमन हेतु किये गये आवेदन के समय लागू अजमेर शहर के मास्टर प्लान 2001 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक (फुटकर एवं सामान्य वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ दर्शित था तथा सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट रखा गया था। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि मौके पर रिक्त है तथा उक्त सड़क पर मुख्यतः व्यावसायिक, आवासीय, संस्थागत गतिविधियां संचालित है। प्रश्नगत भूमि एकल भूखण्ड के रूप में विद्यमान है। अजमेर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2033 के अनुसार शहर की भावी आवश्यकताओं एवं प्रमुख एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर शहर वासियों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में 80 फीट (24 मीटर) अथवा उससे अधिक मार्गाधिकार की प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग दर्शाया गया है। मिश्रित भू-उपयोग एकल सम्पत्ति एवं भूखंड की गहराई अथवा सामने सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना जो भी कम हो अनुज्ञेय होंगे। जिसमें मास्टर डवलपमेन्ट प्रमोशन एण्ड कन्ट्रोल रेग्यूलेशन एवं प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार समस्त भू-उपयोग यथा- आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत आदि गतिविधियां निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मापदण्डों की पूर्ति होने पर अनुज्ञेय होंगे उल्लेखित है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान के प्रस्तावित/विद्यमान 120 फीट (36 मीटर) सड़क पर स्थित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण उपरान्त आपत्तिकर्ता द्वारा प्रेषित दस्तावेजों एवं अजमेर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2033 में प्रस्तावित किये गये भू-उपयोग व सड़क मार्गाधिकार को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मिश्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

● प्रकरण सं. 2

- i.) आपत्तिकर्ता का नाम एवं दिनांक – श्री रमेश चन्दीराम, श्री भगवान चन्दीराम दि. 10.02.21
- ii.) स्थल विवरण – राजस्व ग्राम घूघरा के पुराने खसरा नं. 322, 323 तथा नये खसरा नं. 337, 338 क्षेत्रफल क्रमशः 0.53 हैक्टर एवं 0.54 हैक्टर भूमि
- iii.) मास्टर प्लान-2033 में प्रस्तावित भू-उपयोग – प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2033 के अनुसार भू-उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भाग है एवं सड़क मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित है।
- iv.) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर की गई विवरण मय निस्तारण टिप्पणी – वर्णित खसरा नम्बर अजमेर मास्टर प्लान 2033 एवं अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 (नवीन प्रारूप) के अनुसार जनोपयोगी सुविधाएँ एवं आंशिक आवासीय एवं आंशिक रेलवे लाईन है। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य की सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के क्रम में मास्टर प्लान में दर्शित खुला क्षेत्र, हरा क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, खेल के मैदान, बाग इत्यादि को नवीन मास्टर प्लान बनाते समय भी यथावत रखा जाना है। अतः प्रश्नगत भूमि को अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 (नवीन प्रारूप) में सम्पूर्ण भूमि को आवासीय दर्शाया जाना उचित नहीं है।
- v.) समिति की रिपोर्ट एवं अनुशंशा के आधार पर राज्य सरकार का निर्णय – प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2033 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भाग है एवं सड़क मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित है। अजमेर मास्टर प्लान-2001 में उक्त भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से दूर मास्टर प्लान के ग्रीनबैल्ट हेतु आरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं तथा मौके पर उक्त भूमि रिक्त है। प्रश्नगत भूमि को अजमेर शहर के मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित उपयोग अनुसार नवीन मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2033 में यथावत जन उपयोगी सुविधाएँ हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त प्रार्थी की भूमि के संबंध में लैण्ड पुलिंग स्कीम के तहत जन उपयोगी सुविधाओं हेतु 50 प्रतिशत भूमि निःशुल्क समर्पित किये जाने पर शेष 50 प्रतिशत भूमि का आवासीय उपयोग अनुज्ञेय किये जाने हेतु उक्त क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान में लैण्ड पुलिंग का प्रावधान किया जावे एवं नीतिगत निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

● प्रकरण सं. 3

- i.) आपत्तिकर्ता का नाम एवं दिनांक – श्री रमेश चन्दराम, भगवान चन्दराम दि. 10.02.21
- ii.) स्थल विवरण – राजस्व ग्राम घूघरा के पुराने खसरा नं. 305, 307 तथा नये खसरा नं. 129, 130 एवं 131 क्षेत्रफल क्रमशः 0.23, 0.07 हैक्टर एवं 0.37 हैक्टर भूमि
- iii.) मास्टर प्लान-2033 में प्रस्तावित भू-उपयोग – प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 के अनुसार भू-उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भाग है एवं सड़क मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित है।
- iv.) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर की गई विवरण मय निस्तारण टिप्पणी – वर्णित खसरा नम्बर अजमेर मास्टर प्लान 2033 एवं अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 (नवीन प्रारूप) के अनुसार जनोपयोगी सुविधाएँ एवं आंशिक आवासीय है। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य की सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के क्रम में मास्टर प्लान में दर्शित खुला क्षेत्र, हरा क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, खेल के मैदान, बाग इत्यादि को नवीन मास्टर प्लान बनाते समय भी यथावत रखा जाना है। अतः प्रश्नगत भूमि को अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 (नवीन प्रारूप) में सम्पूर्ण भूमि को आवासीय दर्शाया जाना उचित नहीं है।
- v.) समिति की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार का निर्णय – प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भाग है एवं सड़क मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित है। अजमेर मास्टर प्लान-2001 में उक्त भूमि नगरीकरण योग्य क्षेत्र से दूर मास्टर प्लान के ग्रीनबैट्ट हेतु आरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं तथा मौके पर उक्त भूमि रिक्त है। प्रश्नगत भूमि को अजमेर शहर के मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित उपयोग अनुसार नवीन मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 में यथावत जन उपयोगी सुविधाएँ हेतु प्रस्तावित किया गया है।
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त प्रार्थी की भूमि के संबंध में लैण्ड पुलिंग स्कीम के तहत जन उपयोगी सुविधाओं हेतु 50 प्रतिशत भूमि निःशुल्क समर्पित किये जाने पर शेष 50 प्रतिशत भूमि का आवासीय उपयोग अनुज्ञेय किये जाने हेतु उक्त क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान में लैण्ड पुलिंग का प्रावधान किया जावे एवं नीतिगत निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

● प्रकरण सं. 4

- i.) आपत्तिकर्ता का नाम एवं दिनांक – श्री रविन्द्र/हेमन्त जैन प्रतिनिधि मैसर्स रूस्ट रियल स्टेट प्रा.लि. केसरगंज, अजमेर दि. 28.06.21
- ii.) स्थल विवरण – राजस्व ग्राम थोक मालियान तृतीय के खसरा नं. 9572/3 व 9579 मदार में स्थित भूमि
- iii.) मास्टर प्लान-2033 में प्रस्तावित भू-उपयोग – भू-उपयोग मास्टर प्लान-2023 एवं मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 अनुसार भू-उपयोग फोरेस्ट एवं प्लान्टेशन हेतु दर्शाया गया है।
- iv.) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर की गई विवरण मय निस्तारण टिप्पणी – प्रश्नगत भूमि अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाएँ हेतु अंकित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका सं 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में मास्टर प्लान में दर्शित खुला क्षेत्र, हरा क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, खेल के मैदान, बाग इत्यादि क्षेत्रों को नवीन मास्टर प्लान बनाते समय भी यथावत रखा जाना है। परन्तु मौका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर किये गये निर्माण के क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अंकित किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा। 2. नियमन की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाती है। उक्त के सम्बन्ध में मास्टर प्लान के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 3. मास्टर प्लान के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 4. मास्टर प्लान प्रस्तावों अनुसार सक्षम स्तर से जारी स्वीकृतियों को मास्टर प्लान में यथावत समायोजित माना जावेगा। 5. मास्टर प्लान के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 6. मौका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर किये गये निर्माण के क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अंकित किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा।

v.) समिति की रिपोर्ट एवं अनुशांषा के आधार पर राज्य सरकार का निर्णय – समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व एवं वन विभाग की भूमि की राजस्व रिकार्ड अनुसार स्पष्ट जांच प्राधिकरण स्तर पर की जावें तत्पश्चात् स्पष्ट अभिशांषा सहित प्रकरण समिति के परीक्षण हेतु प्रेषित किया जावें।

● प्रकरण सं 5

i.) आपत्तिकर्ता का नाम एवं दिनांक – श्री जगराम मीणा, सरस्वती नगर, कायड रोड, अजमेर दि. 01.10.20

ii.) स्थल विवरण – श्री जगराम मीणा, सरस्वती नगर, कायड रोड, अजमेर दि. 01.10.20

iii.) मास्टर प्लान-2033 में प्रस्तावित भू-उपयोग – अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 अनुसार भू-उपयोग स्पेशल एरिया (विशेष क्षेत्र)


iv.) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर की गई विवरण मय निस्तारण टिप्पणी – प्रश्नगत भूमि अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाएं हेतु अंकित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका सं 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में मास्टर प्लान में दर्शित खुला क्षेत्र, हरा क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, खेल के मैदान, बाग इत्यादि क्षेत्रों को नवीन मास्टर प्लान बनाते समय भी यथावत रखा जाना है। परन्तु मौका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर किये गये निर्माण के क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अंकित किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा। 2. नियमन की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाती है। उक्त के सम्बन्ध में मास्टर प्लान के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 3. मास्टर प्लान के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 4. मास्टर प्लान प्रस्तावों अनुसार सक्षम स्तर से जारी स्वीकृतियों को मास्टर प्लान में यथावत समायोजित माना जावेगा। 5. मास्टर प्लान के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 6. मौका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर किये गये निर्माण के क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अंकित किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा

v.) समिति की रिपोर्ट एवं अनुशांषा के आधार पर राज्य सरकार का निर्णय – प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान की 100 फीट सड़क पर स्थित है। अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2023 के अनुसार शहर की भावी आवश्यकताओं एवं प्रमुख एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर शहर वासियों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर डवलपमेंट प्लान में 80 फीट (24 मीटर) अथवा उससे अधिक मार्गाधिकार के प्रमुख एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है। मिश्रित भू-उपयोग एकल सम्पत्ति एवं भूखण्ड की गहराई अथवा सामने की सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना जो भी कम हो अनुज्ञेय होंगे। प्रश्नगत प्रकरण मास्टर डवलपमेंट प्लान की 100 फीट सड़क पर स्थित होने एवं मौके पर निर्माण एवं इसके आसपास आबादी विकसित होने के दृष्टिगत सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 150 फीट गहराई (सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना) तक मिश्रित उपयोग एवं इसके उपरान्त आवासीय भू-उपयोग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट :- मास्टर विकास योजना (2013-2033) अजमेर रीजन में दर्शाये गये अन्य स्पेशल एरिया (विशेष क्षेत्र) के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण मय अनुमोदन की अनुशांषा के क्रम में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया जावेगा।

अतः उक्त तथ्यों एवं समिति की रिपोर्ट एवं अभिशांषा के अनुरूप मास्टर विकास योजना-2033 में उक्त संबंधित प्रकरणों से संबंधित स्थलों में उपरोक्तानुसार भू-उपयोग निर्धारण किये जाने हेतु मास्टर विकास योजना-2033 अजमेर रीजन की रिपोर्ट बिन्दु सं. 5 (भू-उपयोग) के क्रम में राज्य सरकार की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा मास्टर विकास योजना-2033 में उपरोक्तानुसार भू-उपयोग समायोजन सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 उक्तानुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-प्रथम